The Bihar State University Service Commission Act, 2017

Act 21 of 2017

Keyword(s):
Institution, Professor, University

Amendments appended: 5 of 2018, 11 of 2021, 8 of 2022, 17 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1939 (श0)
(सं0 पटना 800) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 सितम्बर 2017

सं० एल0जी0-01-23/2017/171/लेजः ।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017

[बिहार अधिनियम 21, 2017]

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** – (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएँ ।** – इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017;

(ii) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–4 के अधीन नियुक्त अध्यक्ष;

(iii) ''अंगीभूत महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित शिक्षण संस्थान, जिसमें स्नातक एवं उससे उपर की शिक्षा प्रदान की जाती हो;

(iv) ''संस्थान'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान;

(v) ''विहित'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमनों द्वारा विहित;

(vi) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है विभाग, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रोफेसर), सह प्राचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं सहायक प्राचार्य (एसिटेन्ट प्रोफेसर);

(vii) ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन/दिशा–निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक;

(viii) ''सह प्राचार्य'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन/दिशा–निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक;

(ix) ''सहायक प्राचार्य'' से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन/दिशा–निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक;

(x) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 या पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के अधीन भविष्य में स्थापित होने वाला कोई विश्वविद्यालय, किन्तु इसमें विधि, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षण वाले विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं;

(xi) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(xii) ''विभाग'' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग

3. **आयोग का गठन ।**–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करेगी।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा। जिसे शाश्वत् उतराधिकार तथा अपनी मुहर होगी एवं जो उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा।

4. आयोग की संरचना। – (1) आयोग एक अध्यक्ष एवं अधिकतम छः सदस्य से मिलकर होगा एवं वे पूर्णकालिक होंगे।

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के लिए की जाएगी।

परन्तु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 72 (बहत्तर) वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 70 (सत्तर) वर्ष होगी।

अध्यक्ष एवं सदस्यगण तीन वर्षो के कार्यकाल के बाद पुनः तीन वर्ष की अवधि के लिए उनकी उपरोक्त अधिकतम उम्र सीमा के अन्तर्गत पुनर्नियोजन के पात्र होंगें।

(3) अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में आयोग के वरीय सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त होगा।

5. **अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हत्ता** ।– (1) अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति राज्य सरकार में मुख्य सचिव के समकक्ष अथवा भारत सरकार में सचिव के समकक्ष पद पर कार्यरत अथवा सेवा निवृत पदाधिकारी होंगे अथवा वैसे व्यक्ति होंगे, जिन्हे विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करने का अनुभव हो अथवा ऐसे व्यक्ति जो प्रख्यात शिक्षाविद् हों।

(2) कुल छः सदस्यों में से न्यूनतम आधे सदस्य विश्वविद्यालय प्राचार्य होंगे, जिन्हे विश्वविद्यालय प्राचार्य के पद पर न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव हो तथा आधे सदस्य राज्य सरकार में संयुक्त सचिव से अन्यून पद पर कार्यरत या सेवा निवृत अधिकारी अथवा केन्द्र सरकार समकक्ष पंक्ति के कार्यरत अथवा सेवा निवृत अधिकारी होंगे।

6. **अध्यक्ष एवं सदस्यगण का त्यागपत्र एवं हटाया जाना** । – (1) अध्यक्ष एवं सदस्यगण अपने हाथ से लिखित और राज्य सरकार को सम्बोधित अनुरोध पत्र द्वारा अपना पदत्याग करते हुए त्याग पत्र समर्पित कर सकेगें, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर प्रवृत्त होगा :

परंतु यदि त्यागपत्र की स्वीकृति इसकी प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर संसूचित नहीं की जाती है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा,

(2) अध्यक्ष एवं सदस्यगण आयोग से हटा दिये जायेगे, यदि वे

(क) न्यायालय के द्वारा दिवालिया न्याय–निर्णीत कर दिए गए हों, अथवा

(ख) अपने पद के कर्तव्यों के दौरान किसी नियोजन में लगे हों, अथवा

(ग) सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक असमर्थता या किसी प्रकार की ऐसी भूलचूक के कार्य में लिप्त होने के कारण, जो कि आयोग के हित में अहितकर हो, कार्यालय में आगे बने रहने के लिए अयोग्य हो :

परन्तु, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यगण दुराचरण या सिद्ध दुर्व्यवहार के आधार पर, नियमों के अधीन विहित रीति से जाँच–पड़ताल किये बिना, जिसमें कि ऐसे दुराचरण एवं दुर्व्यवहार को साबित किया जा सकें, कार्यालय से नहीं हटाये जायेंगे।

7. **आयोग के सचिव** । – (1) आयोग का एक सचिव होगा जो पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा।

(2) आयोग के सचिव की नियुक्ति, राज्य सरकार के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों में से, जो राज्य सरकार में कम से कम संयुक्त सचिव के वेतनमान में हों, की जाएगी।

8. **आयोग के कार्य एवं शक्ति।** – आयोग विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों/संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु, जैसा कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम, 24, 1976) एवं बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (बिहार अधिनियम 23, 1976) में विहित किया गया है, अनुशंसा करेगा एवं अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में, यह उक्त अधिनियमों एवं उनके अधीन बनाए गए परिनियम के अधीन आयोग के लिए यथा विहित कृत्यों का निर्वहन करेगा।

9. **नियम बनाने हेतु राज्य सरकार की शक्ति।** – राज्य सरकार किसी अन्य विषय सहित जो विहित किया जाने वाला या किया जाए, इस अधिनियम के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों, को पूरा करने/आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य/सचिव/पदाधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के लिए, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

10. **आयोग की विनियम बनाने की शक्ति।** – (1) आयोग पात्र उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया सहित अपने कामकाज और प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु विनियम बना सकेगा।

(2) आयोग के द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही प्रवृत्त होगा।

11. **निरसन एवं व्यावृत्ति** ।– (1) इस अधिनियम के प्रवृत होने के पश्चात्, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन बिहार लोक सेवा आयोग की विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की शक्ति निरसित समझी जाएगी।

(2). ऐसे निरसन के होते हुए भी, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम उस तिथि प्रवृत्त था जिस दिन वैसा कुछ किया गया था अथवा वैसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2017

सं0 एल0जी0–01–23/2017/172/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

Bihar State University Service Commission Act, 2017

[Bihar Act 21, 2017]

AN

ACT

To provide for the constitution of the the Bihar State University Service Commission for appointment to the post of teachers in the universities and constituent colleges of the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar State University Service Commission Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may fix by notification in the official Gazette.

2. Definitions - In this Act, unless otherwise requires in the subject or context -

(i) 'Act' means the Bihar State University Service Commission Act; 2017;

(ii) 'Chairman' means the Chairman appointed under Section -4 of the Act;

(iii) 'Constituent College' means a teaching institution maintained or controlled by the university or State Government in which education of graduation and above in given;

(iv) 'Institution' means Institution maintained or recognised by the university;

(v) 'Prescribde' means prescribed under this Act or Rules or Regulations made thereunder;

(vi) 'Teacher' means, Professor, Associate Professor and Assistant Professor imparting instruction in department, college or institute maintained by the university or constituent college;

(vii) 'Professor" means a teacher of a college or university duly appointed or promoted by the competent authority as per the University Grants Commission Regulations/ directives or statutes made by the State Government;

(viii) 'Associate Professor' means a teacher of a college or university duly appointed or promoted by the competent authority as per the University Grants Commission Regulations/ directives or statutes framed by the State Government;

(ix) 'Assistant Professor' means a teacher of a college or university duly appointed or promoted by the competent authority as per the

University Grants Commission Regulations/ directives or statutes made by the State Government;

(x) 'University' includes university established under Bihar University Act, 1976 or Patna University Act, 1976 or any other university to be established in future under any other legal provision but it does not include law, medical, technical teaching universities;

(xi) 'Government' means State Government of Bihar;

(xii) 'Department' means Education Department;

3. Constitution of Commission. -

(1) The State Government shall, by a notification published in the official gazette, set up the Bihar State University Service Commission (hereinafter referred to as Commission) ,

(2) The Commission will be a body corporate, having its head office in Patna, which will have perpetual heritance and its common seal and may sue or may be sued in the said name,

4. Composition of the Commission. (1) The Commission will consist of a Chairman and maximum six members and they shall be wholtime,

(2) The Chairman and the members of the Commission shall be appointed by the State Government as per the prescribed procedure for the period of three years from the date of the notification :

Provided that the Maximum age (Retirement) for the post of Chairman shall be 72 years and 70 years (Retirement) for the members.

The Chairman and the members shall be eligible for reappointment after expiry of tenure of three years, subject to age restriction as provided above.

(3) The senior most Member of the commission shall be empowered to function as chairman in case of any casual vacancy occur to the post of chairman

5. The qualification for appointment to the post of Chairman/ Members.-

(1) A person to be appointed to the post of Chairman shall be a person working or retired from the equivalent post of the Chief Secretary of the State Government or person working or retired from the eqivalent post of Secretary to Government of India or shall be a person having experience of Vice Chancellor of any university or an eminent academician.

(2) Out of six members, minimum half of the members shall be University Professor having at least five years experience as University Professor and half of the members shall be working or retired officers of State Government not below the rank of Joint Secretary or working or retired officers of equivalent rank of Central Government.

6. Resignation and Removal of Chairman and members.- (1) The Chairman or member of the Commission may, by request letter in writing under his hand and addressed to State Government, resign his office which shall come in to force on being accepted by the State Government :

Provided that if the acceptance of resignation is not communicated within fifteen days from the date of its receipt, it shall be deemed to have been accepted.

(2) The Chairman and members shall be removed from the commission if he/she.

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) engage herself/himself in any employment during duties of her/his office; or

(c) she/he is in the opinion of the Government, unfit to continue to the office due to mental and physical incapacity or on indulging in any act of omission or commission detrimental to the interest of the commission.

Provided, that the Chairman and members of the Commission will not be removed from the office on the ground of proved misconduct or misbehaviour without an enquiry made in the manner prescribed under the rules so that such misconduct or misbehavior may be proved.

7. Secretary of the Commission. - (1) There shall be a secretary of the Commission, who shall be a full time officer.

(2) The Secretary of the Commission shall be appointed from amongst the officers of Bihar Administrative Service who is in the pay scale of at least Joint Secretary in the State Government.

8. Function and power of the Commission. - The Commission will make recommendations for the appointment of teachers in the Universities and Constituent Colleges of Bihar as prescribed under the Patna University Act, 1976 (Bihar act 24, 1976) and the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976) and in respect of appointment of teachers and it shall discharge such functions for the appointment of teacher as prescribed for the Commission, under the said Acts and the Statutes made there under.

9. power of State Government to make rules.- The state government, by notification in official gazette, may make rules for appointment/ service conditions of the Chairman/ Members/ Secretary/ Officers/ staffs of the Commission and for carrying out objects and purposes of this act, including for any other matter which has to be or may be prescribed.

10. Power of the Commission to frame Regulation.- (1) The Commission may frame regulation for regulating its work and procedure including for the process of selection of eligible candidate.

(2) The Regulation made by the Commission shall come in force only after prior approval of the State Government.

11. Repeal and Savings- After this Act comes in to force, the power of Bihar Public Service Commission for the appointment of teachers of the Universities and constituent colleges under the Bihar State Universities Act, 1976 and the Patna University Act, 1976 shall be deemed to be repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken on the recommendation of Bihar Public Service Commission under the the Bihar State Universities Act, 1976 and under the Patna University Act, 1976 shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was enforced on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+400-**डी०टी०पी०।**
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1940 (श0)

(सं0 पटना 437) पटना, मंगलवार, 15 मई 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

11 मई 2018

सं० एल०जी०-01-05/2018-31 लेज।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 अप्रील 2018 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार –राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 5, 2018]

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।**–(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

   (2). इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा–11 का संशोधन ।** –बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा– 11 की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :–

"परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सहायक प्राचार्य के पद पर वर्तमान में की जा रही नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

11 मई 2018

सं० एल0जी0-01-03/2018/32/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 अप्रील 2018 को अनुमत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 2018 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार ,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[BIHAR ACT 5 OF 2018]

Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2018

AN

ACT

to amend Bihar State University Service Commission Act 2017 (Bihar Act 21, 2017)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty ninth year of the Republic of India as follows—

1. ***Short title, extent and commencement.—*** (1) This Act may be called the Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2018.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come in force with effect from the date, which the State Government , by notification, may fix.

2. ***Amendment in section-11 of Bihar Act 21, 2017.—***The following proviso shall be added after sub section (1) of Section- 11 of the Bihar Act 21, 2017.

"Provided that at present on going appointment process to the post of Assistant Professors on the basis of the advertisements already published by the Bihar Public Service Commission shall be completed only by the Bihar Public Service Commission. ".

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 437-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 236) पटना, बुधवार, 31 मार्च 2021

विधि विभाग

अधिसूचना
31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–10/2021–2154/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[fcgkj vf/kfu;e 11] 2021]

fcgkj jkT; fo'ofo|ky; lsok vk;ksx ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e 2021

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

iLrkouk& चूँकि, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 14, 2017) एवं पटना विश्वविद्यालय संशोधन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 15, 2017) के माध्यम से राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को शिक्षक श्रेणी में समाहित कर लिया गया है।

चूँकि, राज्य के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 अधिनियमित है।

अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा के अन्तर्गत महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को समाहित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 के प्रावधानों में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1- laf{kIr uke] ,oa izkjEHk A&

(1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2- fcgkj vf/kfu;e 21] 2017 dh /kkjk 2 esa la'kks/kuA&

(1) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 के खण्ड (vi) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–
"अध्यापक" से अभिप्रेत है विभाग, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रोफेसर), सह प्राचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर), सहायक प्राचार्य (एसिसटेंट प्रोफेसर) तथा प्रधानाचार्य;

(2) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 2 में खण्ड (xiii) निम्न रूपेण जोड़ा जाएगा :–
"(xiii)" प्रधानाचार्य से अभिप्रेत है कॉलेज का प्रधान;

पी०सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

---

31 मार्च 2021

सं० एल०जी०–01–10/2021**&2155@ys t**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 मार्च 2021 को अनुमत **fcgkj jkT; fo'ofo|ky; lsok vk;ksx ¼la'kks/ku½ vf/kfu;e 2021 ¼fcgkj vf/kfu;e 11] 2021½** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]
पी०सी० चौधरी,
ljdkj ds lfpoA

[Bihar Act 11, 2021]

Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2021

AN

ACT

To amend Bihar State University Service Commission Act, 2017 (Bihar Act 21, 2017)

Preamble— Whereas, Principal in the Universities of Bihar has been included in teacher category by Bihar State University (Amendment) Act, 2017 (Bihar Act 14, 2017) and Patna University (Amendment) Act, 2017 (Bihar Act 15, 2017).

Whereas, Bihar State University Service Commission Act 2017 have been enacted,

Therefore it is necessary to include Principal of the colleges in the Universities of Bihar as teacher under the Bihar State University Service Commission Act, 2017,

On the above mentioned facts, it is expedient to make amendments in the Bihar State University Service Commission, Act, 2017

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy second year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title and Commencement.—***

(1) This Act may be called The Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come in force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Amendment in section 2 of Bihar Act 21, 2017—***

(1) Part (vi) of section 2 shall be substituted by the following :-

'Teacher' means, Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Principal imparting instruction in department, college or institute maintained by the university or constituent college;

(2) A new part (xiii) shall be added in section (2) of Bihar Act 21, 2017 as follows :-

(xiii) "Principal" means, head of College,

P.C. Choudhary,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 236-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1944 (श0)

(सं0 पटना 178) पटना, शनिवार, 2 अप्रील 2022

विधि विभाग

अधिसूचना

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०—01—09/2022—2835/लेज।——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 1 अप्रील 2022 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 08, 2022]
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम 2022
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावनाः– राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर सम्यक् एवं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों पर अनुभवी व्यक्तियों की सेवा प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा 4 में संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।– (1) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 में संशोधन।– (1) बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा 4 की उपधारा (2) के परंतुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''परंतु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 75 वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 70 वर्ष होगी।

परंतु यह कि अध्यक्ष एवं सदस्यगण पुनर्नियोजन हेतु पात्र होंगे। पुनर्नियोजन की अवधि का निर्धारण ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।''

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

2 अप्रील 2022

सं० एल०जी०–01–09/2022–**2836/लेज**—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा **dated-01st April, 2022 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 08, 2022)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 08, 2022]

Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2022

AN
ACT

To amend Bihar State University Service Commission Act, 2017 (Bihar Act 21, 2017)

Preamble—It is essential to make provision for re-appointment of experienced persons to the posts of Chairman and members of the Bihar State University Service Commission for proper and transparent appointment to the vacant posts of teachers in the universities of state.

Hence, it is expedient to make amendments in the Bihar State University Service Commission, Act, 2017

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and Commencement.— (1) This Act may be called The Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2022.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come in force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in section 4 of Bihar Act 21, 2017— Proviso of Sub section (2) of section 4 of Bihar Act 21, 2017 shall be substituted by the following:-

"Provided that the maximum age (Retirement) for the post of Chairman shall be 75 years and 70 years (Retirement) for the members.

Provided further that the Chairman and members shall be eligible for re-appointment for another tenure. The period of re-appointment shall be determined by the Government, which shall not exceed three years, subject to the age restriction as provide above."

Jyoti Swaroop Srivastava,
Secretary incharge to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 178-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1946 (श0)
(सं0 पटना 738) पटना, मंगलवार, 6 अगस्त 2024

विधि विभाग

अधिसूचना
6 अगस्त 2024

सं० ल०जी०–01–18/2024–**4832**/लेजः ।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक 05 अगस्त, 2024 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 17, 2024)

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में संशोधन करने हेतु अधिनियम :—

प्रस्तावना:— चूँकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में शिक्षक की परिभाषा को व्यापक किया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी किया जाना भी अनिवार्य है।

अतः भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में, बिहार की विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ ।—

(क) यह अधिनियम बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(ख) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा—2 का संशोधन ।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 20, 2018) की धारा 2 की उपधारा (vi) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2 (vi) ''शिक्षक' से अभिप्रेत है प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, एवं विश्वविद्यालय या अंगीभूत कॉलेज या राज्य सरकार द्वारा संचालित विभाग, कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्रदान करने वाले प्राचार्य।''

3. बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा—8 का संशोधन।— बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 में, धारा (8) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

8 "आयोग, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार बिहार के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुसंशा करेगा। आयोग राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की अनुसंशा भी करेगा। आयोग शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि उक्त अधिनियमों एवं उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अधीन आयोग के लिए विहित किया गया है।"

4. व्यावृत्ति।— अधिनियम की धारा 2 एवं धारा 8 में उक्त संशोधन के होने के बावजूद इन धाराओं के अन्तर्गत पूर्व में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या की गई समझी जायेगी और संशोधन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या की जाएगी।

अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

---

6 अगस्त 2024

सं० एल०जी०—01—18/2024—**4833**/लेजः।— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा dated-05th August, 2024 को अनुमत बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 (बिहार अधिनियम 17, 2024) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 17, 2024)

BIHAR STATE UNIVERSITY SERVICE COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2024.

AN

ACT

To amend Bihar State University Service Commission Act, 2017.

Preamble:- Whereas it is expedient to widen the definition of teacher in the Bihar State University Service Commission Act, 2017. As well as it is also expedient to make it affective for the appointment of teacher in all the University and Higher Educational Institutions of the State.

It is hereby enacted in the Seventy-Fifth year of the Republic of India, by the legislature of Bihar as follows:-

1. ***Short title and commencement.—***

(a) This Act may be called the Bihar State University Service Commission (Amendment) Act, 2024.

(b) It shall come into force immediately on publication in official gazette.

2. ***Amendment in section 2 of Bihar State University Service Commission Act, 2017.—*** Sub section (vi) of section 2 of the Bihar State University Service Commission Act, 2017 shall be substituted as follows :–

2 (Vi) 'Teacher' means Professor, Associate Professor, Assistant Professor and Principal imparting instruction in department, college or Higher Education Institution maintained by the university or constituent college or State Government;

3**.** ***Amendment in section 8 of Bihar State University Service Commission Act, 2017.—*** Section 8 of the Bihar State University Service Commission Act, 2017 shall be substituted as follows :–

8 "The Commission will make recommendations for the appointment of teachers in the Universities and Constituent Colleges of Bihar as prescribed under the Patna University Act, 1976 (Bihar act 24, 1976) and the Bihar State University Act, 1976 (Bihar Act 23, 1976). The commission will also make recommendation of appointment of teachers in Other Universities/Higher Education Institutions as notified by the State Government from time to time. The commission shall discharge such functions for the appointment of teacher as prescribed for the Commission, under the said Acts and the Statutes made thereunder."

4. ***Savings.—***Notwithstanding the above amendment in section 2 and section 8 of the act anything done or any action taken under this section shall be deemed to have been legally completed done or shall be deemed to have been done and shall or will not be question on the basis of amendment.

ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 738-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in